उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 21 /2024/454/एक-1-2024-1-1099/70/2024

लखनऊः दिनांकः 29 मई, 2024

कार्यालय ज्ञाप (संशोधन)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80 अंतर्गत, कृषि भूमि की कृषि कार्यों से इतर उपयोग हेतु अकृषक किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के नियम-85(2) में आवेदक उद्घोषणा शुल्क की आवश्यक रकम जमा करेगा, जो कि सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर से किये जाने के प्राविधान हैं। इसके अतिरिक्त उद्घोषणा की कार्यवाही हेतु न्यायालय शुल्क के रूप में रू० 50 जमा किये जाने का प्राविधान है।

2. उ०प्र० पर्यटन नीति, 2022 के प्राविधान के दृष्टिगत जिन इकाईयों द्वारा पर्यटन विभाग से प्रयोजनों हेतु पंजीकृत किया गया है, उन इकाईयों हेतु, उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के उपर्युक्त प्राविधानों में निम्नवत संशोधन किया जाता हैः

(1) जिन इकाईयों द्वारा पर्यटन विभाग से प्रयोजनों हेतु पंजीकृत किया गया है, उन इकाईयों हेतु उद्घोषणा शुल्क, जो कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत से छूट प्रदान की जायेगी।

(2) प्रश्नगत उद्घोषणा हेतु निर्धारित न्यायालय शुल्क रू० 50 की भी छूट प्रदान की जायेगी।

(3) उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80 के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही हेतु निर्धारित समयावधि 45 कार्य दिवसों के अन्दर ही इन आवेदन-पत्रों को अनिवार्य रूप से निस्तारित किया जायेगा। उक्त प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पी० गुरूप्रसाद

प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-आई/5073/7/41-2099/28/2024, दिनांक-28.02.2024 के क्रम में।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राम रतन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in